

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, चित्रकूट,
श्रावस्ती, बहराइच, एवं सोनभद्र, उ०प्र०।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2021

विषय:-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) के मानदेय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103-खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु (के.-100/रा.-00-के.)-07 मानदेय" मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष एन०डी०एम०एस० पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खतरे के प्रति संवेदनशील उक्त जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण के लिए 07 जनपदों (बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, चित्रकूट, श्रावस्ती, बहराइच, एवं सोनभद्र) में नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) को 04 माह (माह अक्टूबर, 2021 से माह जनवरी, 2022 तक) रू० 19.60 लाख (रू० उन्नीस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि, के मानदेय के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बंधित जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	स्वीकृति धनराशि (लाख रू०)
1-	बलरामपुर	2.80
2-	सिद्धार्थनगर	2.80
3-	फतेहपुर	2.80
4-	चित्रकूट	2.80
5-	श्रावस्ती	2.80
6-	बहराइच	2.80
7-	सोनभद्र	2.80
	योग	19.60

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahata.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई म शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त स्वीकृत रू0 19,60,000/- (रू0 उन्नीस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्ष "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103-खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु (के.-100/रा.-00-के.) 07 मानदेय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

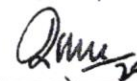
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1768 (1)/एक-10-2020, तददिनांक

प्रतिलिपित- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- परिषद् वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- राजस्व अनुभाग-6/11
- 8- सार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-29/10/2021

प्रेषण संख्या:- 1768
आवंटन आदेश संख्या:- 127-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
01 -
03 - खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सुदृढीकरण हेतु (के.100/रा.0-के.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		07-मानदेय	योग
1	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	280000 700000	280000 700000
2	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	280000 700000	280000 700000
3	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	280000 700000	280000 700000
4	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	280000 910000	280000 910000
5	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	280000 700000	280000 700000
6	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	280000 700000	280000 700000
7	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	280000 700000	280000 700000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1960000 5110000	1960000 5110000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनीस लाख साठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्यावन लाख दस हजार


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।